



**मध्यप्रदेश विधान सभा**  
**संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)**  
**गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 (फाल्गुन 19, शक संवत् 1943)**  
**विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.**  
**अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.**

**1. प्रश्नोत्तर**

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 एवं 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 140 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

**2. बहिर्गमन**

तारांकित प्रश्न संख्या-3, मुलताई के क्षेत्रों की नजूल भूमि से मुक्ति संबंधी मामले में श्री सुखदेव पांसे, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया गया.

**3. नियम 267-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य की ग्वालियर जया रोग्य अस्पताल में दुर्घटना से घायल महिला की इलाज में चिकित्सकों की लापरवाही के कारण मृत्यु होने,
- (2) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की नर्मदापुरम् संभाग में ग्रीष्मकालीन का बीज किसानों को उपलब्ध नहीं कराये जाने,
- (3) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की राजधानी भोपाल की रिहायशी कालोनियों में अवैध डेयरी संचालित होने,
- (4) श्री बाला बच्चन, सदस्य की राजपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना में निर्मित निर्माणाधीन मार्ग गुणवत्ता विहीन होने,
- (5) इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य की शासकीय हाईस्कूल रजाखेडी के भवन निर्मित करने हेतु राशि स्वीकृति के बाद भी भूमि न मिलने,
- (6) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य की सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र की सङ्कोचों का निर्माण न किये जाने,
- (7) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की भोपाल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में उपभोक्ताओं से बिजली बिल की अवैध वसूली किए जाने,
- (8) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले में तहसील कार्यालय में खण्ड लेखकों को सहायक ग्रेड 3 पर नियुक्ति नहीं दिये जाने,
- (9) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की प्रदेश में कर्मचारी हितों में वर्ष 2004 के पूर्व की पुरानी पेंशन प्रणाली लागू किए जाने तथा
- (10) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा-खाचरौद तहसील में 7 मार्च 2022 को हुई बारिश ओलावृष्टि से फसलें चौपट होने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

**4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख**

**राजगढ़ जिले में ओलावृष्टि होना**

(1) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि राजगढ़ जिले के खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसील के अधिकांश गांवों में हुई भारी वर्षा और ओलावृष्टि से संतरे, गेहूं, चना एवं सरसों की फसलें नष्ट हो गई हैं. शासन इनका तत्काल सर्वे कराने के लिए कमिश्नर भोपाल और राजगढ़ कलेक्टर को निर्देश दें. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला कलेक्टर को तत्काल सर्वे करने का निर्देश दे दिये हैं और आज से ही सर्वे प्रारम्भ कर दिया गया है, प्रत्येक प्रभावित किसान को नुकशानी के अनुसार राहत राशि दी जायेगी.

## 5. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार-  
(क) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021), एवं  
(ख) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022)  
पटल पर रखे।

## 6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवडा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम का 66 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21  
पटल पर रखा।

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने दि रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एकट, 2016 की धारा 86 की उपधारा (2) के अधीन मध्यप्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की अधिसूचना क्रमांक-एमपीरेरा-कार्य संचालन-विनियमन 2021-1, दिनांक 15 सितम्बर, 2021 पटल पर रखी।

(3) श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने -

(क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-20 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां), तथा

(ख) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2018-2019 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां)

पटल पर रखीं।

(4) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने -

(क) जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला अनूपपुर एवं जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 तथा जिला उमरिया, सागर एवं छिन्दवाड़ा के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21, तथा

(ख) श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक-1036-183-2018-ए-सोलह, दिनांक 02 अगस्त, 2021 पटल पर रखे।

(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 पटल पर रखा।

(6) श्री प्रेमसिंह पटेल, पशुपालन मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, तथा

(ख) आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21

पटल पर रखे।

(7) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21,

(ii) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक), एवं

(iii) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 53 वां प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21, तथा

(ख) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21,

पटल पर रखे।

(8) श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा।

(9) श्री इंद्र सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) का तेरेसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016, चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017 एवं पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018 पटल पर रखे।

**7. दिसम्बर, 2019 सत्र से दिसम्बर, 2021 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन  
खण्ड-9 पटल पर रखा जाना**

अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर, 2019 सत्र से दिसम्बर, 2021 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-9 पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

**8. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा  
उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना**

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथाउनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

**9. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 7 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

<b>क्र.</b>	<b>राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक</b>	<b>अधिनियम क्रमांक</b>
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 (क्रमांक 35 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2021
2.	मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को तुकसान का निवारण एवं तुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 (क्रमांक 34 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2022
3.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 30 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2022
4.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 32 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2022
5.	मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 29 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2022
6.	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2022
7.	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 36 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2022

**10. ध्यानाकर्षण**

(1) श्री संजय यादव, सदस्य ने नर्मदा धाटी विकास विभाग द्वारा जबलपुर की बड़ादेव सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना को लंबित रखे जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री नर्मदा धाटी विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजीधा, सदस्य, मुरैना जिले में पशुओं की मौत पर पशुपालकों को सहायता राशि न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

## 11. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री को विधान सभा के मार्च, 2022 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की।

## 12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने याचिका समिति के याचिकाओं से संबंधित अष्टम, नवम, दशम, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां एवं चौदहवां तथा अभ्यावेदनों से संबंधित सत्रहवां, अठारहवां एवं उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये तथा आभार व्यक्त किया।

(2) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, सदस्य ने नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

## 13. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईः-

- (1) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
- (2) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
- (3) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
- (4) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
- (5) कुं. रविन्द्र सिंह तोमर 'भिडौसा' (जिला-मुरैना)
- (6) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
- (7) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
- (8) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
- (9) श्री जयसिंह मरावी (जिला-आगर-मालवा)
- (10) सुश्री हिना लिखीराम कावरे (जिला-आगर-मालवा),
- (11) श्री प्रह्लाद लोधी (जिला-पन्ना)
- (12) श्री निलय विनोद डागा (जिला-बैतूल)
- (13) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
- (14) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
- (15) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
- (16) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (जिला-बालाघाट)
- (17) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
- (18) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)

## 14. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

- (1) श्री लक्ष्मण सिंह
- (2) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी
- (3) श्री रामलाल मालवीय
- (4) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
- (5) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
- (6) श्रीमती नंदनी मरावी

## 15. वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवडा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिये दिनांक 11 मार्च, 2022 को 2 घण्टे का समय नियत किया गया।

**सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए।**

## 16. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 7 मार्च, 2022 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत, कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर डॉ. सीतासरन शर्मा, प्रस्तावक सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

## 17. बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के जन्मदिन पर डॉ. सीतासरन शर्मा एवं आसंदी द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं।

## 18. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

सभापति महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास 983 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य किया गया है। तदनुसार, सदन में उपस्थित निम्नलिखित माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(1)	श्री विनय सक्सेना	1
(2)	श्री घनश्याम सिंह	2
(3)	श्री आरिफ मसूद	3
(4)	श्री आरिफ अकील	4
(5)	श्री लक्ष्मण सिंह	5
(6)	श्री प्रियव्रत सिंह	6
(7)	श्री नारायण सिंह पट्टा	7
(8)	श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी	8
(9)	श्री कमलेश्वर पटेल	9
(10)	श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	10
(11)	श्री सज्जन सिंह वर्मा	11
(12)	श्री दिलीप सिंह गुर्जर	12
(13)	श्री मनोज चावला	13
(14)	श्रीमती सुनीता पटेल	14
(15)	श्री नीरज विनोद दीक्षित	15
(16)	श्री तरुण भनोत	16
(17)	कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा	17
(18)	श्री बाला बच्चन	18

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(19)	श्री उमंग सिंघार	19
(20)	श्री सुनील सराफ	20
(21)	श्री आलोक चतुर्वेदी	21
(22)	श्री राकेश मार्वई	22
(23)	श्री पी.सी.शर्मा	23
(24)	श्री प्रताप ग्रेवाल	24
(25)	श्री मुरली मोरवाल	25
(26)	श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी	26
(27)	डॉ.गोविन्द सिंह	27
(28)	श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति	28
(29)	श्री संजय यादव	29
(30)	डॉ.विजय लक्ष्मी साध्वी	30
(31)	श्री कुणाल चौधरी	31
(32)	श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव	32
(33)	श्री ओमकार सिंह मरकाम	33
(34)	डॉ.सतीश सिकरवार	34

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

(2) डॉ. गोविन्द सिंह

(अपरान्ह 1.30 बजे से 3.05 बजे तक अंतराल)

**अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.**

- (3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
- (4) श्री लक्ष्मण सिंह
- (5) श्री उमाकांत शर्मा
- (6) श्री बहादुर सिंह चौहान

**सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया) पीठासीन हुए.**

- (7) श्री कमलेश्वर पटेल
- (8) श्री कुणाल चौधरी

#### 19. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री विजयपाल सिंह, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक - 1	श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू	30 मिनट
2.	क्रमांक -6	डॉ. सीतासरन शर्मा	30 मिनट
3.	क्रमांक -22	श्री सुखदेव पांसे	30 मिनट
4.	क्रमांक -25	श्री उमाकांत शर्मा	30 मिनट

श्री विजयपाल सिंह, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

**20. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)**

- (9) श्री दिलीप सिंह परिहार
- (10) श्री पी.सी. शर्मा (भाषण एवं चर्चा जारी)

अपराह्न 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 (20 फाल्गुन, शक सम्वत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

**भोपाल:**  
**दिनांक: 10 मार्च, 2022**

**ए. पी. सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा**